

## औपनिवेशिक काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में शैक्षिक विकास

गौरव सिंह

इतिहास विभाग, जामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, भारत

### सारांश

इस आलेख के माध्यम से औपनिवेशिक काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुए शैक्षिक विकास का विश्लेषण किया गया है। शिक्षा का उपयोग औपनिवेशिक व्यवस्था में शासन की वैधता स्थापित करने तथा आर्थिक हित को पूरा करने के लिए किया जाता रहा। प्रारंभिक वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी एक विशुद्ध व्यापारिक कंपनी थी जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था तथा देश में शिक्षा को प्रोत्साहित करने में कंपनी की कोई रुचि नहीं थी। भारतीय शिक्षा के इतिहास को मुख्यतः निम्नलिखित खंडों में विभाजित किया जा सकता है— वैदिक काल, बुद्ध काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल और स्वतन्त्रोत्तर काल। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा क्षेत्र में अनेक परिवर्तन किए गए।

**मूल शब्द:** औपनिवेशिक, आयोग, मदरसा, अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत इत्यादि

भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पहले शिक्षा का एक परंपरागत ढांचा स्थापित था। इस परंपरागत ढांचे के अंतर्गत मुस्लिम आबादी के लिए मदरसा तथा मकतब एवं हिन्दुओं के लिये टोल और पाठशालाएं होती थी। वहीं दक्षिण भारत में अग्रहार भारतीय जनता की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरी कर रहे थे।

भारत की प्रचलित शिक्षा पद्धति के स्वरूप में परिवर्तन ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। आधुनिक शिक्षा आरंभ करने में मुख्य भूमिका सरकार तथा ईसाई धर्म प्रचारकों और बड़ी संख्या में प्रबुद्ध भारतीयों द्वारा निभाई गई। भारत में आने वाले धर्म प्रचारकों में संत जैवियर प्रमुख थे। कंपनी ने अपनी स्थापना के प्रारंभिक 60 वर्षों के दौरान शिक्षा में नाममात्र दिलचस्पी ली क्योंकि यह मुनाफा कमाने वाली एक व्यापारिक संस्था रही। परंतु इसके दो बहुत ही छोटे अपवाद देखने को मिलते हैं। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मुस्लिम कानून तथा संबद्ध विषयों का अध्ययन करना था। 1791 में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में हिंदू कानून तथा दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। इन संस्थाओं की स्थापना का मूल उद्देश्य कंपनी की अदालतों में न्याय प्रशासन के लिए योग्य भारतीय नियमित रूप से मिल सके। अंग्रेज धर्मप्रचारक तथा ईसाई मिशनरियों ने श्रीरामपुर (कलकत्ता) को भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए अपना केंद्र बनाया। इसके अतिरिक्त राजाराम मोहन राय, राधाकांतदेव, महाराज तेज सेन चन्द्र, जयनारायण घोषाल आदि भारतीयों के व्यक्तिगत प्रयासों से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई। राजाराम मोहन राय, डेविड हेयर तथा हाईड ईस्ट ने संयुक्त रूप से मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज कहलाया। प्रबुद्ध भारतीयों तथा मिशनरियों ने सरकार पर आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने का दबाव डालना प्रारंभ किया। इन धर्म प्रचारकों का मानना था कि आधुनिक शिक्षा अपने धर्मों में लोगों की आस्था को खत्म कर देगी और वे ईसाई धर्म ग्रहण करने के लिए प्रेरित होंगे। जबकि प्रबुद्ध भारतीयों का मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से ही देश में आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक दुर्बलता दूर की जा सकती है।

ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शिक्षा के उत्तरदायित्व संभालने की शुरुआत 1813 में की तथा 1813 का शैक्षिक आज्ञा पत्र जारी

किया। कंपनी ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास 1813 में किया गया। 1813 के चार्टर एक्ट में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहित करने तथा विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने के लिए ₹1,00,000 खर्च का निर्देश दिया गया। सरकार द्वारा शिक्षा के कर्तव्य को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करने का यह पहला प्रयास था। भारत में अंग्रेजी सिखाने के लिए स्कूलों का जाल बिछाने का विचार सबसे पहले सिविल सेवक चार्ल्स ग्रांट के मन में आया। इसी कारण उन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता भी कहा जाता है।

1813 के आज्ञा पत्र में ₹1,00,000 की धनराशि को व्यय करने की विधि निश्चित नहीं थी इस कारण से भारत में कई वर्षों तक इस प्रश्न को लेकर विवाद चलता रहा कि यह खर्च शिक्षा व्यवस्था में किस दिशा में किया जाए। विवाद के चलते 1823 तक यह राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। यह विवाद मुख्यतः शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का माध्यम तथा विषय से संबंधित था। एक पक्ष का कहना था कि रकम केवल आधुनिक पाश्चात्य साधनों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाए जबकि एक अन्य पक्ष का मुख्य जोर परंपरागत भारतीय विद्या के प्रसार पर था। इस दौरान एक अन्य विवाद शिक्षा के माध्यम को लेकर भी उत्पन्न हुआ। जहाँ एक पक्ष वर्नाकुलर (प्राच्य) तथा एक अन्य पक्ष अंग्रेजी के इस्तेमाल की वकालत कर रहा था। प्राच्य शिक्षा समर्थक दल में एच.टी. प्रिंसेप तथा एच. एच. विल्सन थे, इनका ऐसा मानना था कि भारत में संस्कृत और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और भारत में पाश्चात्य विज्ञान तथा ज्ञान का प्रसार इन्हीं भाषाओं में किया जाए। दूसरी ओर आंग्लवादी दल भारत पर पश्चिमी मानदंडों को पूरी तरह से आरोपित करना चाहते थे इनका मानना था कि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में अपनाया गया तो आने वाले 30 वर्षों में बंगाल के सभ्य वर्ग में एक भी मूर्तिपूजक नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त एक अन्य गुट जो बम्बई में सक्रिय था, के नेता मुनरो और एलफिंस्टन थे इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को स्थानीय देसी भाषा में देने की वकालत की। यह प्राच्य पाश्चात्य विवाद 20 वर्षों तक चलता रहा तो तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बैंटिक ने अपने काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकॉले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया व विवाद पर अपना विवरण पत्र प्रस्तुत करने को कहा।

इन विवादों का अंत 1835 में हुआ, जब लॉर्ड विलियम बैंटिक ने मैकाले विवरण पत्रिका को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया। वह सीमित संसाधनों का प्रयोग पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने के लिए लगाएगी। गौरी विश्वनाथ का तर्क है कि "अंग्रेजी शिक्षा भारत में 1835 से पहले अनेक रूपों में मौजूद थी। लेकिन पहले जहाँ अंग्रेजी का अध्ययन शास्त्रीय ढंग से मुख्यता एक भाषा के रूप में किया जाता था, वहीं अब नया परिवर्तन यह आया कि साहित्य का अध्ययन आधुनिक ज्ञान के माध्यम के रूप में किया जाने लगा। माना जाता था कि अंग्रेजी साहित्य अंग्रेजियत की पहचान का एक आदर्श प्रतिनिधान है, जो अंग्रेजों द्वारा शोषण और दमन के तत्कालीन इतिहास से पवित्र और मुक्त था।" जबकि सी.ई. ट्रेवेल्यान का कहना है कि "यह शिक्षा जनता के लिए नहीं बल्कि धनी लोगों, विद्वानों तथा व्यवसायियों के लिए थी क्योंकि उनके यहाँ शिक्षा की एक परंपरा थी। ज्ञान पाने की उत्सुकता और उसके लिए साधन भी थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास इसके लिए पर्याप्त अवकाश था।" लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध आलोक पत्र (मिनट) में तर्क दिया कि भारतीय भाषाएं अभी इतना विकसित नहीं हो सकी कि इस उद्देश्य को पूरा कर सकें और प्राच्यविद्या यूरोपीय विद्या से बिल्कुल निकृष्ट है। अंग्रेजी भाषा की महत्ता को व्यक्त करते हुए मैकाले ने लिखा है कि "यह भाषा पाश्चात्य भाषाओं में भी सर्वोपरि है। जो इस भाषा को जानता है वह सुगमता से उस विशाल भंडार को प्राप्त कर लेता है, जिसकी रचना विश्व के श्रेष्ठतम व्यक्तियों ने की है।" मैकाले के अनुसार "यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कोना भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है।" मैकाले के विचार भारत की भूतकालीन उपलब्धियों के प्रति पूर्वाग्रह तथा अज्ञानता से भरे हुए थे। राजा राममोहन रॉय जैसे भारतीयों ने पाश्चात्य विज्ञान के अध्ययन का पक्ष लिया। इनका मानना था कि पाश्चात्य ज्ञान से ही भारत में आधुनिक पश्चिम के वैज्ञानिक तथा लोकतांत्रिक चिंतन का प्रसार होगा क्योंकि परंपरागत शिक्षा ने अंधविश्वास और सत्तावाद को जन्म दिया।

1835 में लिए गए निर्णय का बंगाल में तीव्र रूप से कार्यान्वित किया गया। स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया परंतु इसमें लोक शिक्षा की उपेक्षा की गयी जिसकी वजह से इसकी आलोचना भी हुई। उच्च शिक्षा के साथ ही आम जनता को शिक्षित करने का काम भी हाथ में लिया जाना चाहिए था। सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। शिक्षा पर खर्च की कमी को पूरा करने के लिए अधिकारियों ने तथाकथित अधोगामी निरस्यंदन (डाउन्वर्ड फिल्डेशन थ्योरी) के सिद्धांत को अपनाया। इस सिद्धांत के प्रतिपादन का मुख्य उद्देश्य यह था कि सर्वप्रथम उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए ताकि इस वर्ग के शिक्षित होने पर छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँच सकें। यह सिद्धांत लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत का पालन ब्रिटिश शासन ने 1854 तक किया हालांकि शिक्षा रिसर्क नीचे नहीं गई परंतु इसने आधुनिक विचार बहुत हद तक आम जनता के बीच प्रसारित किये।

भारत में शिक्षा के विकास में 1854 की शिक्षा विषयक विज्ञप्ति एक अन्य महत्वपूर्ण कदम था। इस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में कंपनी द्वारा किए गए शैक्षिक प्रयासों को और अधिक व्यापक बनाने पर बल दिया हालांकि इसमें भी उनके साम्राज्यवादी स्वार्थ की पूर्ति ही निहित थी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसने भावी शिक्षा के लिए एक वृहद योजना तैयार की। इसको 'भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा' कहा गया। यह सर्वप्रथम प्रयास था जब कंपनी ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा के सभी पक्षों की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की थी। इस घोषणा पत्र से भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के

स्वरूप को एक राजनीतिक मान्यता प्रदान की गई। इसमें भारत सरकार से जन शिक्षा की जिम्मेदारी लेने को कहा गया। इसके अंतर्गत कुछ मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं—

1. सरकार पाश्चात्य शिक्षा, विज्ञान, कला, दर्शन तथा साहित्य का प्रसार करे।
2. उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो परन्तु स्कूल स्तर पर देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए।
3. देसी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं और उनके ऊपर एंग्लो वर्नाकुलर हाईस्कूल तथा संबंधित कॉलेज खोले जाएं।
4. अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए।
5. स्त्री शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा के प्रोत्साहन पर बल दिया जाना चाहिए।
6. कंपनी के पांच प्रांतों बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त तथा पंजाब में एक-एक शिक्षा विभाग के निर्माण की योजना बनायी गयी। शिक्षा विभाग का मुख्य कार्य इस शैक्षिक विकास की समीक्षा करना तथा सरकार को हर वर्ष इस संबंध में रिपोर्ट भेजना था।
7. लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में तीन विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई।
8. इसमें सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो, इस बात पर बल दिया गया।
9. इसमें घोषणा की गयी कि सरकार की शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार है।

वुड डिस्पैच की सभी सिफारिशें लागू कर दी गईं। सभी प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। तथा 1857 तक तीनों प्रेसीडेंसियों में विश्वविद्यालय खोले गए। इस दौरान महिला शिक्षा के लिये जे.ई.डी. बेथुन के प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इन्होंने कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की। चार्ल्स वुड द्वारा जिन विधियों को अनुमोदित किया गया वे लगभग 50 वर्षों तक प्रभावी रही और इसके कारण तीव्र गति से शिक्षा का पश्चात्तीकरण हुआ व अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। औपनिवेशिक काल में शिक्षा के प्रसार में गंभीर दिलचस्पी नहीं ली गई। इसके पीछे मुख्य कारण था प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। सरकार कम खर्च पर शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी। ताकि प्रशासन के छोटे कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा किया जा सके क्योंकि इन कामों के लिए अंग्रेजों को बाहर से लाना बहुत खर्चीला था। अंग्रेजी को बढ़ावा देने के पीछे का मुख्य कारण था कि अंग्रेजी प्रशासन की भाषा थी। लॉर्ड मैकाले ने निर्देश दिया कि "हमें एक ऐसा वर्ग बनाने के लिए जी जान से प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे और उन करोड़ों लोगों के बीच, जिन पर हम शासन करते हैं दुभाषिए का काम कर सके; यह उन लोगों का वर्ग हो जो रक्त और रंग की दृष्टि से भारतीय परन्तु रुचि, विचारों, आचरण और बुद्धि की दृष्टि से अंग्रेज हो।

अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा का उपयोग देश में राजनीतिक सत्ता को मजबूत करने के लिए किया। सरकारी समर्थन के अभाव में परंपरागत शिक्षा प्रणाली धीरे धीरे समाप्त हो गई और 1844 में सरकार ने यह घोषणा की कि सरकारी रोजगार के लिए आवेदन करने वालों को अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है, इस घोषणा ने अंग्रेजी को स्कूलों में अधिक लोकप्रिय बना दिया। इस शिक्षा प्रणाली की मुख्य कमजोरी थी किसने लोक शिक्षा की उपेक्षा की तथा साथ ही लड़कियों की शिक्षा की अवहेलना भी की गयी। अंग्रेजी भाषा पर अधिक बल दिए जाने के कारण जनता में शिक्षा का प्रसार नहीं हो सका, जिससे कि शिक्षित लोगों और जनता के बीच भाषा और संस्कृति की खाई पैदा करने की प्रवृत्ति भी नजर

आने लगी। एक अन्य खामी जो इस समय शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिलती है वह थी प्रशासन ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया। 1857 तक देश में केवल तीन ही मेडिकल कॉलेज थे व उच्च तकनीकी शिक्षा के लिये केवल एक इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में था।

### निष्कर्ष

अतः हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा तंत्र के माध्यम से नए मूल्यों का विकास और औपनिवेशिक शासन का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया गया। इस दौरान जन शिक्षा की अवहेलना की गयी तथा स्वदेशी शिक्षा पद्धति का सर्वनाश हो गया। शिक्षा ने अंग्रेजी वस्त्र धारण किए तथा क्षेत्रीय एवं लोक भाषाएं और संस्कृति को दुत्कारा गया। अंग्रेजों की शिक्षा नीति का मुख्य प्रयोजन इस धारणा से निकला था कि शिक्षित भारतीय इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं के बाजार का भारत में विस्तार करेंगे। साथ ही पाश्चात्य शिक्षा भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगी और शिक्षा के माध्यम से मध्यम वर्ग के कर्मचारी तैयार हो सकेंगे। कंपनी शासन के अंतर्गत शिक्षा का विकास तो किया गया परंतु सर्वसाधारण को शिक्षित करने का प्रयास नहीं किया गया और औद्योगीकरण के लिए टेक्निकल शिक्षा का विकास भी नहीं किया जा सका।

### संदर्भ सूची

1. विपिन चन्द्र: आधुनिक भारत का इतिहास, ओरिएंट ब्लैकस्वॉन प्रा. लिमिटेड, 2008
2. शेखर बंधोपाध्याय: प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद –आधुनिक भारत का इतिहास, ओरिएंट ब्लैकस्वान प्रा. लिमिटेड, 2006
3. गौरी विश्वनाथन: मास्क्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट—लिटरेरी स्टडी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 1989
4. जावेद माजिद: अनगवर्नड इमैजिनिंग्स: जेम्स मिल्स द हिस्टरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड ओरिएंटलिज्म, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1992
5. सैयद नूरुल्लाह तथा जे.पी. नायक: ए स्टूडेंट हिस्टरी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, मैकमिलन, 1971